# PROGRAMME OF COOPERATION BETWEEN

### THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE MINISTRY OF CULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC FOR THE PERIOD 2023 - 2026

The Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Ministry of Culture of the Republic of India (hereinafter jointly referred to as "Parties and individually as Party"),

Having regard to the Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of India on Cooperation in the Fields of Culture, Art, Education, Science, Tourism, Sport and Mass Media, signed on 11 March 1996 in New Delhi,

Desiring to further develop the cooperation and to intensify and extend the mutual relations between both nations,

Have agreed upon this Programme of Cooperation (hereinafter 'Programme') between the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Ministry of Culture of the Republic of India for 2023 – 2026:

#### Article 1

The Parties accept that the intensification and extension of cooperation in the fields of culture and art promotes the mutual enrichment, increase of creative potential and cultural development of both nations in accordance with the applicable laws and policies of both the countries.

#### **Article 2**

- During the validity of this Programme and within contacts established in the area of the dramatic arts, the Parties shall create appropriate space for the exchange of information materials and promote the presentation in one country of genuine productions by authors from the other country.
- 2. The Parties shall promote direct cooperation between theatrical institutions, theatrical festivals, national centres of non-governmental organizations acting in the area of the dramatic arts, etc.
- 3. The Parties shall mutually promote the exchange of experts and observers from various art areas (theatre, music, fine art, literature, etc.), including non-professional art (amateur art).

**4.** The Parties shall mutually promote the participation of artistic ensembles and bodies at the significant international theatre, music and folklore festivals.

#### Article 3

- 1. The Parties shall promote cooperation in the area of musical arts through direct cooperation between music institutions, music festivals, the provision of information materials, audio recordings and scores with emphasis on contemporary composers' productions and interpretations and on traditional music.
- 2. The Parties shall promote the exchange of information materials, scores, science and music-oriented magazines and music carriers as well as the presentation of authentic works by authors from the other Party's country.

#### Article 4

- 1. The Parties shall promote the cooperation between the authors, translators and publishers and support the translation and publishing of literary works of art by authors from the other Party.
- 2. The Parties shall mutually advise each other of opportunities to participate in international book fairs to be organized in each other's country on a commercial basis. At the same time they provide such information to legal entities interested in book culture.
- 3. The Parties shall promote the exchange of information, direct cooperation and contacts between libraries.

#### Article 5

- 1. The Parties shall promote the cooperation between museums, galleries and intangible cultural heritage organizations and the exchange of representative exhibition projects, the mutual exchange of specialized publications, catalogues, photographic exhibitions on community landscapes, lifestyles and performative traditions with institutions having shared interests and other promotional materials.
- 2. The Parties shall promote the exchange of experts in museum management and methodology. The duration and schedule of such exchanges are to be agreed through diplomatic channels.
- 3. The Parties shall promote the mutual participation of creative artists in international fine arts events organized in the other Party's country.

#### Article 6

- 1. During the validity of this Programme, the Parties shall seek to become familiar with the latest trends in culturology, cultural anthropology, traditional culture and design and they shall deal also with the national minorities' cultures as well as methods for their preservation.
- 2. The Parties shall promote the short-term mutual exchange of experts in archaeology, epigraphy, conservation and restoration of museum and gallery collections.
- 3. The Parties shall promote the direct cooperation between monument conservation institutions, in particular regarding the exchange of information and promotional materials and information concerning any seminars and conferences prepared.
- 4. The Parties shall promote the exchange of microfilms, microfiches, manuscript copies of artistic, humanitarian and cultural heritage, reprographic copies of photographs, slides and other materials concerning the cultural heritage of their countries.

#### Article 7

- 1. The Parties shall promote the development of cooperation in the area of the filmmaking arts and film production, particularly the cooperation between film archives, producers, distributors and cinematographic institutions for the purpose of the mutual presentation of film production, co-production and the exchange of information and experience.
- 2. The Parities shall promote the mutual participation at significant film festivals and shows organized by the other Party.

### **Article 8**

- The conditions of each individual case shall be agreed through diplomatic channels. Any dispute relating to the interpretation or implementation of this Programme shall be settled by the Parties upon mutual agreement in good faith through diplomatic channels.
- 2. The expiry of the validity of this Programme shall not affect the ongoing events performed on the basis hereof. These events shall follow the provisions of this Programme till their completion unless otherwise agreed by the Parties.

### Article 9

- 1. This Programme of Cooperation shall enter into force on the date of its signature and it shall remain in force until 31 December 2026.
- 2. This Programme of Cooperation shall be automatically extended for new three (3) year period, unless one of the Parties notifies the other Party, in writing, about its intention to terminate it at least six (6) months prior to its expiration date.
- Either Party may terminate from this Programme after a 6 (six) month notice period. The notice period begins on the first day of the month following the day of delivery of the written notice communicating parties' intention to terminate this programme.
- Parties through diplomatic channels may amend/modify this programme 4. with mutual written consent. Such amendment will enter into force on the date of its signing or on any other date as decided by the Parties. Such amendment will be an integral part of this programme.
- The General and Financial Provisions stated in an ANNEX-1 shall form 5. an inseparable part of this Programme.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this programme of cooperation.

Done at New Delhi on 4th March 2023, in two originals each, in Slovak, Hindi and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE MINISTRY OF CULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC

(H.E. Dr. S. Jaishankar) **External Affairs Minister** 

(H.E. Mr. Rastislav Káčer) Minister of Foreign European

Ration tun

**Affairs** 

and

### ANNEX -1

### GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

In relation to the implementation of this Programme of Cooperation between the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Ministry of Culture of the Republic of India for **2023-2026**, and after discussing the general and financial issues relating to the Programme, the Parties have agreed as follows:

A. The exchange of persons based on this Programme shall be performed under the following conditions unless otherwise agreed by the Parties:

The sending Party shall cover:

- Travel expenses related to international transport to and from the place of destination;
- Insurance.

The receiving Party shall cover:

- Domestic transport;
- Accommodation;
- Full-board and pocket-money in accordance with national legal regulations.
- B. The exchange of exhibitions shall be performed in compliance with the principles and conditions resulting from an agreement signed separately for every exhibition:

The sending Party shall advise the receiving Party of the dates and subjects of the exhibitions prepared, no later than 6 (six) months beforehand in order to allow the receiving Party to make the necessary preparations.

The Parties shall agree upon the number of persons accompanying an exhibition and upon the duration of their stay.

The sending Party shall provide basic technical data on each exhibition prepared (list of exhibits, photographs, etc.) and send them to the receiving Party no later than 2 (two) months prior to the opening of an exhibition. Exhibits must be delivered to the place of destination no later than 15 (fifteen) days prior to the opening of an exhibition.

The sending Party shall cover:

 Expenses related to the transportation of an exhibition to and from the receiving country;

Insurance of exhibits during the transportation,

Travel expenses and insurance for an exhibition commissioner.

### The receiving Party shall cover:

- Expenses related to the organization of an exhibition, including the costs for the installation and disassembly of an exhibition, rental of an exhibition area, advertising and insurance during an exhibition;
- Accommodation, full-board and pocket-money for an exhibition commissioner in compliance with national legal regulations.

### C. General provisions

- 1. Command of the English language shall be conditional for the exchange of persons within this Programme.
- 2. The sending Party shall provide the receiving Party with the data to the extent necessary to ensure the implementation of this program concerning the members of their delegations, groups and individuals who visit the other Party's country, including information concerning the time of arrival, personal data and others, no later than 3 (three) months beforehand.
- 3. The receiving Party shall confirm the exchange 6 (six) weeks prior the departure.

  The exact time of arrival shall be communicated minimum of 2 (two) weeks prior to the date of arrival.
- 4. If certain circumstances do not allow a member of a delegation or a whole delegation to leave at the specified time, the new date of departure shall be determined upon the agreement of the Parties.

### 2023-2026 की अवधि के लिए भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और स्लोवाक गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच सहयोग कार्यक्रम

स्लोवाक गणराज्य का संस्कृति मंत्रालय और भारतीय गणराज्य का संस्कृति मंत्रालय (इसके पश्चात संयुक्त रूप से "दोनो पक्षकार और अलग-अलग पक्षकार" के रूप में उल्लिखित),

संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेल और जनसंचार के क्षेत्र में सहयोग पर स्लोवाक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच 11 मार्च, 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार के संबंध में,

दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और उनका विस्तार करने की इच्छा से,

2023–2026 के लिए स्लोवाक गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच इस सहयोग कार्यक्रम (इसके पश्चात 'कार्यक्रम') पर सहमत हुए हैं:

# अनुच्छेद 1

दोनों पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग की प्रगाढ़ता और विस्तार से दोनों देशों में लागू कानूनों और नीतियों के अनुसार दोनों राष्ट्रों की पारस्परिक समृद्धि, रचनात्मक क्षमता की वृद्धि और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

# अनुच्छेद 2

- 1. दोनों पक्षकार इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान और नाट्य कला के क्षेत्र में स्थापित संपर्कों के भीतर सूचना सामग्री के आदान-प्रदान हेतु उपयुक्त मंच स्थापित करेंगे और एक देश के लेखकों की मूल रचनाओं के प्रस्तुतिकरण को दूसरे देश में बढ़ावा देंगे।
- 2. दोनों पक्षकार नाट्य संस्थाओं, नाट्य समारोहों, नाट्य कला के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के राष्ट्रीय केंद्रों आदि के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- 3. दोनों पक्षकार विभिन्न कला क्षेत्रों (रंगमंच, संगीत, ललित कला, साहित्य आदि) से संबंधित विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों के पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे, जिसमें गैर-व्यावसायिक कला (शौकिया कला) शामिल होगी।
- 4. दोनों पक्षकार महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रंगमंच, संगीत और लोकगीत समारोहों में कला-मंडलियों और निकायों की सहभागिता को पारस्परिक रूप से बढ़ावा देंगे।

# अनुच्छेद 3

- 1. दोनों पक्षकार संगीत संस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष सहयोग, संगीत समारोहों, सूचना सामग्री व्यवस्था, समकालीन संगीतकारों की प्रस्तुतियों और व्याख्याओं पर बल देते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग और संकेत चिह्नों के माध्यम से संगीत कला के क्षेत्र में सहयोग तथा पारंपरिक संगीत पर सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- 2. दोनों पक्षकार सूचना सामग्री, संकेत चिह्नों, विज्ञान और संगीतोन्मुखी पत्रिकाओं और संगीतकारों के आदान-प्रदान तथा दूसरे पक्षकार के देश के लेखकों के प्रामाणिक कार्यों की प्रस्तुति को बढ़ावा देंगे।

# अनुच्छेद 4

- 1. दोनों पक्षकार लेखकों, अनुवादकों और प्रकाशकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे तथा दूसरे पक्षकार के लेखकों द्वारा कला संबंधी साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद और प्रकाशन में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 2. दोनों पक्षकार एक देश द्वारा दूसरे देश में वाणिज्यिक आधार पर आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेने के अवसरों के संबंध में एक-दूसरे को सलाह देंगे। साथ ही वे पुस्तक संस्कृति में रुचि रखने वाली विधिक संस्थाओं को इस प्रकार की सूचना प्रदान करेंगे।
- 3. दोनों पक्षकार पुस्तकालयों के बीच सूचना के आदान-प्रदान, प्रत्यक्ष सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देंगे।

# अनुच्छेद 5

- 1. पक्षकार संग्रहालयों, दीर्घाओं और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संगठनों के बीच सहयोग और प्रतिनिधि प्रदर्शनी परियोजनाओं के आदान-प्रदान, विशिष्ट प्रकाशनों के आपसी आदान-प्रदान,कैटलॉग, सामुदायिक परिदृश्यों पर फोटोग्राफिक प्रदर्शनियों, साझा हितों वाली संस्थाओं के साथ लाइफस्टाइल और प्रदर्शनकारी परिपाटियों और अन्य प्रचार सामग्री को बढ़ावा देंगे।
- 2. पक्षकार संग्रहालय प्रबंधन और प्रक्रिया में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे। इस तरह के आदान-प्रदान की अविध और कार्यक्रम के लिए राजनियक चैनलों के माध्यम से सहमित होनी चाहिए।
- 3. पक्षकार दूसरे पक्षकार के देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ललित कला कार्यक्रमों में रचनात्मक कलाकारों की पारस्परिक भागीदारी को बढ़ावा देंगे।

# अनुच्छेद 6

1. इस कार्यक्रम की वैधता की अविध के दौरान पक्षकर संस्कृति विज्ञान , सांस्कृतिक नृविज्ञान, पारंपरिक संस्कृति और डिजाइन में नवीनतम प्रवृतियों से परिचित होने की चेष्टा करेंगे

और वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की संस्कृतियों के साथ-साथ उनके संरक्षण के तरीकों को भी

- 2. पक्षकार पुरातत्व, पुरालेख, संग्रहालय और दीर्घा संग्रह के संरक्षण और नवीनीकरण में विशेषज्ञों के लघु अवधि के पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।
- 3. पक्षकार विशेष रूप से सूचना और प्रचार सामग्री के आदान-प्रदान और किसी भी सेमिनार तथा सम्मेलन की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए स्मारक संरक्षण संस्थाओं के बीच सीधे सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- 4. पक्षकार अपने देशों की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित माइक्रोफिल्म्स, लघुफिल्म, कलात्मक, मानवीय और सांस्कृतिक विरासत की पांडुलिपि प्रतियों, तस्वीरों की रिप्रोग्राफिक प्रतियों, स्लाइड और अन्य सामग्रियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

# अनुच्छेद 7

- 1. पक्षकार विशेष रूप से फिल्म अभिलेखागार, निर्माताओं, वितरकों और सिनेमैटोग्राफिक संस्थाओं के बीच फिल्म निर्माण, सह-निर्माण और आदान-प्रदान की पारस्परिक प्रस्तुति के उद्देश्य से सहयोग करने औरजानकारी तथा अनुभव को साझा करने के लिए फिल्म निर्माण कला और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के विकास को बढ़ावा देंगे।
- 2. पक्षकार अन्य पक्षकार द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों और कार्यक्रमों में पारस्परिक भागीदारी को बढ़ावा देंगे।

# अनुच्छेद 8

- 1. प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की शर्तों पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से सहमित ली जाएगी। इस कार्यक्रम के निर्वचन या कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी विवाद को पक्षकारों द्वारा आपसी सहमित से राजनयिक चैनलों के माध्यम से सद्भाव से सुलझाया जाएगा।
- 2. इस कार्यक्रम की वैधता की समाप्ति इसके आधार पर चल रहे मौजूदा कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं करेगी। ये आयोजन इस कार्यक्रम के प्रावधानों का उनके पूरा होने तक तब तक पालन करेंगे जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमति नहीं हों।

# अनुच्छेद-9

- 1. यह सहयोग कार्यक्रम इसके हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा और यह 31 दिसंबर 2026 तक वैध रहेगा।
- 2. इस कार्यक्रम की वैधता हुए तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाएगी, जब तक कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम छह (6) महीने पहले इसे समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में लिखित रूप में सूचित नहीं करता है।
- 3. कोई भी पक्षकार 6 (छह) महीने की नोटिस अवधि के बाद इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। नोटिस की अवधि इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए सूचित करने वाले पक्षकार के इरादे के लिखित नोटिस की सुपुदर्गी के दिन के बाद वाले महीने के पहले दिन से शुरू होती है।
- 4. दोनों पक्षकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से आपसी लिखित सहमति से इस कार्यक्रम में संशोधन / सुधार कर सकते हैं। इस तरह का संशोधन उस पर हस्ताक्षर करने की तारीख था दोनों पक्षकारों द्वारा तय की गई किसी अन्य तारीख से लागू होगा। ऐसा संशोधन इस कार्यक्रम का एक अनिवार्य भाग होगा।
- 5. अनुबंध-1 में यथा उल्लिखित साधारण और वित्तीय प्रावधान इस कार्यक्रम के अविभाज्य भाग माने जाएँगे।

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में 4 प्रान्धी, 2023 को के दिन स्लोवाक, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से वैध हैं। निर्वाचन से भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय की ओर से

स्लोवाक गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय की ओर से

37. UNDIAS

(महामहिम डॉ. एस जयशंकर) विदेश मंत्री Padistu tur

(महामहिम श्री शस्तिसलाव केसर) विदेश एवं यूरोप मंत्री

# अनुबंध - 1

## सामान्य एवं वित्तीय प्रावधान

वर्ष 2023-2026 की अवधि के लिए स्लोवाक गणराज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय और भारत गणराज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय के बीच इस सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में और इस कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों सामान्य एवं वित्तीय संबंधी मुद्दों पर चची के उपरांत दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की:

क. इस कार्यक्रम के आधार पर व्यक्तियों का आदान-प्रदान निम्नलिखित शर्तों के तहत किया जाएगा जब तक कि दोनों पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए:

प्रेषक पक्षकार निम्नलिखित शामिल करेगा:

-गंतव्य स्थान से आने-जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित यात्रा व्यय;

-बीमा

प्राप्तकर्ता पक्षकार निम्नलिखित कार्य शामिल करेगाः

-आंतरिक परिवहन:

-आवास;

-राष्ट्रीय कानूनी विनियमों के अनुसार फुल-बोर्ड और जेब खर्च।

ख. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान प्रत्येक प्रदर्शनी के लिए अलग से हस्ताक्षरित करार के परिणामस्वरूप सिद्धांतों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा:

प्रेषक पक्ष कम से कम छह महीने पहले तैयार की गई प्रदर्शनियों की तारीखों और विषयों के बारे में प्राप्तकर्ता पक्ष को सूचित करेगा, ताकि प्राप्तकर्ता पक्ष आवश्यक तैयारी कर सके।

दोनों पक्षकार किसी भी प्रदर्शनी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और उनके प्रवास की अवधि पर सहमत होंगे।

प्रेषक पक्ष तैयार की गई प्रत्येक प्रदर्शनी (प्रदर्शनियों की सूची, फोटोग्राफ, आदि) पर मूल तकनीकी डाटा प्रदान करेगा और उन्हें प्रदर्शनी के खुलने से 2 (दो) महीने पहले प्राप्तकर्ता पक्ष को भेजेगा। प्रदर्शनी के उद्घाटन से 15 (पंद्रह) दिन पहले प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाएगा।

प्रेषक पक्ष निम्नलिखित कवर करेगा:

-प्रदर्शनी को प्राप्तकर्ता देश से लाने और ले जाने से संबंधित व्यय:

-परिवहन के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं का बीमा,

-एक प्रदर्शनी आयुक्त के लिए यात्रा व्यय और बीमा।

प्राप्तकर्ता पक्ष निम्नलिखित कवर करेगाः

-किसी प्रदर्शनी के आयोजन से संबंधित व्यय जिसमें प्रदर्शनी की लगाने और हटाने की लागत, प्रदर्शनी क्षेत्र का किराया, प्रदर्शनी के दौरान विज्ञापन और बीमा शामिल है;

-राष्ट्रीय विधिक विनियमों के अनुसार प्रदर्शनी आयोजक के लिए आवास, फुल-बोर्ड और जेब-खर्च।

### ग. सामान्य प्रावधान

- 1.इस कार्यक्रम के भीतर व्यक्तियों के आदान-प्रदान के लिए अंग्रेजी भाषा पर अधिकार की शर्त होगी।
- 2.प्रेषक पक्षकार दूसरे पक्षकार के देश में जाने वाले अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों, समूहों और व्यक्तियों से संबंधित डाटा कम से कम 3 (तीन) महीने पहले प्राप्तकर्ता पक्ष को प्रदान करेगा जो इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जिसमें आगमन के समय, व्यक्तिगत डाटा और अन्य जानकारी से संबंधित सूचना शामिल है।
- 3.प्राप्तकर्ता पक्ष प्रस्थान से 6 (छह) सप्ताह पहले आदान-प्रदान की पृष्टि करेगा। आगमन की तारीख से कम से कम 2 (दो) सप्ताह पहले आगमन का सही समय के बारे में सूचित किया जाएगा।
- 4.यदि कुछ परिस्थितियों में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य या पूरे प्रतिनिधिमंडल को निर्दिष्ट समय पर प्रस्थान करने में असमर्थ रहता है, तो प्रस्थान की नई तिथि पक्षकारों की सहमति से निर्धारित की जाएगी।